न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 05/2021

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष – संतोष मुण्डा पिता स्व0 अवध मुण्डा............... बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष – रविन्द्र गोप पिता स्व0रंघु गोप .... बगैरह।

1
02/6/21

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी, पालकोट के अप्राथमिकी सं0 01/2021 दिनांक 19/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा नाथपुर के खाता सं0 562 प्लॉट सं0 5760 रकबा 1.61 एकड़ जमीन में **प्रथम पक्ष** (1) संतोष मुण्डा उम्र 19 वर्ष पिता स्व0 अवध मुण्डा (2) सोमारी देवी उम्र 40 वर्ष पति स्व0 अवध मुण्डा दोनो सा0 डहुडॉड़ थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) सोमारी कुजूर उम्र 55 वर्ष पति स्व0 फेकु उरॉव सा0 डहुडाड़ (2) रविन्द्र गोप उर्फ रवि कुमार उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 रंघु गोप (3) रघु गोप उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 एतवा गोप (4) रविन्द्र साहु उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 बालचन्द साहु दानो सा0 डहुडाड सभी थाना पालकोट जिला गुमला के बीच उक्त भूमि में दखल, बिक्री एवं बंटवारा को लेकर विवाद है। जिसको लेकर दोनो पक्षो के बीच तनाव बना हुआ है । फलस्वरूप शांति भंग होने संबंधी प्रतिवेदन थाना पालकोट द्वारा कि गया है। थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए दं0प्र0सं0 की धारा 144 प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, पालकोट से उक्त वादगत् भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मांग किया गया। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार हैः–

प्रथम पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए है। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किया गया है। जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त वाद में द्वितीय पक्ष के सोमारी कुजूर उम्र 55 वर्ष पति स्व0 फेकु उरॉव सा0 डहुडाड थाना पालकोट के द्वारा मेरे पिता स्व0 अवध मुण्डा से खरीद कर दखल कब्जा में है जबकि अन्य तीन पक्षकार क्रमशः (1) रविन्द्र गोप उर्फ रवि कुमार उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 रंघु गोप (2) रघु गोप उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 एतवा गोप (3) रविन्द्र साहु उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 बालचन्द साहु दानो सा0 डहुडाड सभी थाना पालकोट के द्वारा मेरी खतीयनी जमीन में बिना हक सरोकार के या खरीदगी के जमीन में मकान निर्माण हेतु नीव खोद कर निर्माण किया जा रहा है जिसे रोक लगाया जाय। द्वितीय पक्ष की सोमारी कुजूर उम्र 55 वर्ष पति स्व0 फेकु उरॉव सा0 डहुडाड का नाम उक्त वाद से हटा दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए है। द्वितीय पक्ष की आरे से कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल नहीं किया गया है।

अंचल पालकोट से जॉच प्रतिवेदनः–

सर्वे खतियान के अनुसार मौजा नाथपुर के साकीन टोला डहुड़ाड के खाता सं0 562 प्लॉट सं0 5760 रकबा 1.60 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में लेवडे मुण्डा वल्द कीनू मुण्डा कौम मुण्डा शाकीन रहे टोला डहुडाड़ लोहरा उरॉव सीकमी खाता 19 दर्ज है। स्थानीय जॉच के अनुसार (1) सोमारी कुजूर उम्र 55 वर्ष पति स्व0 फेकु उरॉव सा0 डहुडाड़ (2) रविन्द्र गोप उर्फ रवि कुमार उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 रंघु गोप (3) रघु गोप उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 एतवा गोप (4) रविन्द्र साहु उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 बालचन्द साहु दानो सा0 डहुडाड सभी थाना पालकोट जिला गुमला के द्वारा अंशतः उक्त प्लॉट में निव खुदाई एवं भवन निर्माण का कार्य प्रतीत है जिसे उभय पक्षो के ओर से कभी अशांति बनने की संभावना ळें

उभय पक्ष की आरे से दाखिल भूमि से संबंधित कागजात एवं सुलहनामा एवं थाना पालकोट के सूचना से स्पष्ट है कि मौजा नाथपुर के खाता सं0 562 प्लॉट सं0 5760 रकबा 1.61 एकड़ भूमि से संबधित है । जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त वाद के सोमारी कुजूर उम्र 55 वर्ष पति स्व0 फेकु उरॉव सा0 डहुडाड़ थाना पालकोट के द्वारा प्रथम पक्ष के पिता से खरीदगी कर कार्य किया जा रहा है एवं कागजात भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अन्य (1) रविन्द्र गोप उर्फ रवि कुमार उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 रंघु गोप (2) रघु गोप उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 एतवा गोप (3) रविन्द्र साहु उम्र 48 वर्ष पिता स्व0 बालचन्द साहु दानो सा0 डहुडाड सभी थाना पालकोट के द्वारा न्यायालय में उपस्थित हुए है इनके द्वारा भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अंचल जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद्‌गत भूमि मापी एवं अतिक्रमण से संबंधित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष मापी से संबंधित आवेदन अंचल पालकोट में कर सकते है उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना या शांति व्यवस्था भंग होने संबंधी सूचना थाना पालकोट या अन्य स्रोत्र से अप्राप्त है अत : उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

ज्ञापांकः–　　　　दिनांकः–

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी पालकोट के अप्राथमिकी सं0 01/2021 दिनांक 19/04/2021 के आलोक में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.12.06 11:55:33 +05:30
Location: 192.168.1.3